

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 1984/पौष 20, 1905
No. 14] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 1984/PAUSA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

आदेश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1984

का.आ. 15(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्-द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्न-लिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) प्रथम संशोधन आदेश, 1984 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (निर्यात) आदेश, 1977, खले सामान्य लाइसेंस सं. 2 की क्रम सं. 58 के खामने कालम 4 में निम्नलिखित को शर्त सं. (2) को दब जोड़ा जाएगा :—

“(3) ‘भारत मदों’ के निर्यात के मामले में विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

[सं. ई(सी)ओ. 1977/ए.एम.(281)/मिसिल सं. 2/57/83/ई-1]
हस्ताक्षरित/-

प्र. च. जैन, मुख्य निर्यातक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
(EXPORT TRADE CONTROL)
ODRER

New Delhi, the 10th January, 1984

S.O. 15(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) 1st Amendment Order, 1984.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL : 3 in Col. 4 against S. No. 58 the following shall be added after condition No. (ii) :—

“(iii) For export of ‘India Items’ appropriate Certificate issued by the Office of Development Commissioner (Handicrafts) will be required.”

[No. E(C)O. 1977/AM(28)/F. No. 2/57/83/E-I]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports.